संख्या : 362/XVII /09-53(प्रकोष्ठ)/2009

प्रेषक,

इन्दु कुमार पाण्डे,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
समाज कल्याण,
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी नैनीताल।

2. निदेशक,
जनजाति कल्याण,
उत्तरांखण्ड, देहरादून

3. निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा
उत्तराखण्ड देहरादून।

4. निदेशक,
उच्च शिक्षा,
उत्तरांखण्ड।

समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ।

देहरादून दिनांक 29 जून, 2009

विषयः समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति विकलांग एवं अल्पसंख्यक वर्ग हेतु संचालित छात्रवृत्ति योजना का क्रियान्वयन।

महोदय,

आप अवगत हैं कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति, तथा अल्पसंख्यक् वर्गो में साक्षरता दर एवं शिक्षा का स्तर सामान्य वर्ग की तुलना में कम पाया जाता है। समाज कल्याण विभाग द्वारा इन वर्गो को शिक्षा ग्रहण करने के लिए अभिप्रेरित करने के उद्देश्य से छात्रवृत्ति योजना संचालित की जाती है। साथ ही भारत सरकार द्वारा इन वर्गो के दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययन करने वाले छात्रों को दशमोत्तर छात्रवृत्ति ए. शिक्षण शुल्क प्रदान किया जाता है। किन्तु लक्षित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए योजना का प्रभावी एवं समयवद्ध क्रियान्वयन परमावश्यक है। छात्रवृत्ति योजना की समीक्षा के उपरान्त यह अनुभव किया गया कि योजना संचालन के लिए सुस्पष्ट समय सारणी एवं जनपद स्तर पर सतत् अनुश्रवण हेतु सक्षम समिति के अभाव में छात्रवृत्ति की धनराशि पात्र लाभार्थियों को नियमित रूप से शिक्षा सत्र की अवधि में नहीं मिल पाती है। वस्तुतः छात्रवृत्ति योजना में छात्रों का शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश, छात्रवृत्ति हेतु पात्र छात्रों का चिन्हांकन एवं खाता खोलना, समाज कल्याण को मांग प्रेषण, समाज कल्याण विभाग द्वारा धनराशि आहरण के उपरान्त छात्रों को अथवा शिक्षण संस्थाओं को धनराशि प्रेषण एवं छात्रों को भुगतान की बहुस्तरीय प्रक्रिया सम्मिलित है। यद्यपि योजना समाज कल्याण विभाग द्वारा पोषित ए. संचालित है किन्तु योजना के सफल क्रियान्वयन में शिक्षा विभाग तथा धनराशि स्थानान्तरण एवं भुगतान में बैंक, डाक विभाग की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। अतः ऊपरवर्णित पृष्ठभूमि में

क्रमशः..........2पर

सम्यक विचारोपरान्त इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जनपद स्तर पर एक अनुश्रवण एवं समीक्षा समिति का गठन किया जाता है जिसकी संरचना निम्नवत् है।

1-	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2-	मुख्य विकास अधिकारी	उपाध्यक्ष
3-	जिला शिक्षा अधिकारी	सदस्य
4-	अपर जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक)	सदस्य
5-	जिला लीड बैंक मैनेजर	सदस्य
6-	जिला सूचना अधिकारी	सदस्य
7-	जनपद स्थित महाविद्यालय/पालीटेक्नीक के प्राचार्य/प्रतिनिधि	सदस्य
8-	जनपद स्थित विश्वविद्यालय के डीन छात्र कल्याण	सदस्य
9-	जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य सचिव

उपरोक्त के अतिरिक्त जिलाधिकारी छात्रवृत्ति योजना के क्रियान्वयन हेतु किसी भी उपयुक्त अधिकारी/संस्था के प्रमुख को बैठक में यथा आवश्यकता आमंत्रित कर सकते हैं। जनपद स्थित मान्यता प्राप्त निजी व्यवसायिक संस्थाओं के अध्यक्ष/प्रमुख को संस्था से सम्बन्धित छात्रवृत्ति के प्रकरण में आ रही कठिनाई के निस्तारण हेतु बैठक में आमंत्रित किया जा सकता है। उपरोक्त समिति प्रत्येक त्रैमास में एक बैठक आहूत कर योजना की गहन समीक्षा करेगी तथा क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाईयों के निस्तारण करने हेतु समुचित मार्गदर्शन प्रदान करेगी। योजना के क्रियान्वयन हेतु निम्न दिशा निर्देश निर्धारित किये जाते है जिनके आधार पर जनपद स्तरीय समिति योजना के प्रगति का अनुश्रवण एवं समीक्षा करेगी।

1. प्रत्येक जनपद में शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं को सूचीबद्ध कर लिया जाय। जिनमें अध्ययनरत छात्रों को छात्रवृत्ति दी जायेगी। इस सूची की एक प्रति जिला समाज कल्याण अधिकारी को भी अवश्य उपलब्ध करायी जाये। यह सूची यथा आवश्यक अद्यावधिक की जायेगी।

2- माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से इतर उच्च एवं तकनीकी शिक्षण संस्थाओं महाविद्यालयों एवं विश्व विद्यालयों की सूचना सम्बन्धित जिले के जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा संकलित एवं सूचीबद्ध की जायेगी।

3- सूचीबद्ध संस्थाओं द्वारा प्रतिवर्ष छात्र प्रवेश/पंजीकरण के उपरान्त छात्रवृत्ति हेतु पात्र अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति, विकलांग एवं अल्पसंख्यक

क्रमशः.....3पर

वर्ग के छात्रों का चिन्हांकन किया जायेगा एवं इन चिन्हांकित छात्रों के नाम से निकटतम बैंक अथवा डाकघर में खाता खोला जायेगा। खाता नम्बर सहित छात्रों की सूची माध्यमिक स्तर तक की शिक्षण संस्थाओं द्वारा खण्ड शिक्षा अधिकारी/अपर जिला शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।

4- अपर जिला शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी प्रत्येक विकास खण्ड से छात्रों के चिन्हांकन एवं सूचियां संकलित करने हेतु विकास खण्ड स्तर पर तैनात सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी का दायित्व निर्धारण करेंगें। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी का दायित्व होगा कि वह अपने क्षेत्र के समस्त शिक्षण संस्थाओं से सूचियॉं प्राप्त कर खण्ड शिक्षा अधिकारी अथवा अपर जिला शिक्षा अधिकारी को इस प्रमाण पत्र के साथ उपलब्ध करायेंगे कि उनके क्षेत्र के समस्त विद्यालयों/संस्थाओं से छात्र सूची प्राप्त कर ली गयी है एवं कोई पात्र छात्र सूची में सम्मिलित होने से छूटा नहीं है।

5- यह कार्य एक निर्धारित समय सारणी के तहत सम्पादित किया जायेगा। छात्र चिन्हांकन, सूची प्रेषण, छात्रवृत्ति की धनराशि आहरण, वितरण एवं छात्रों में भुगतान उपभोग की सूचना आदि की विस्तृत समय सारणी निदेशक समाज कल्याण द्वारा एक पुस्तक के रूप में जारी की जायेगी। यह पुस्तक जनपद के प्रत्येक शिक्षण संस्थ को उपलब्ध करायी जायेगी। इस पुस्तक में समय सारणी के अतिरिक्त छात्रवृत्ति की दरें, पात्रता तथा आवेदन पत्र का प्रारूप भी प्रकाशित कराया जायेगा।

6- जिला समाज कल्याण अधिकारी प्रति वर्ष शिक्षण सत्र के आरम्भ में दैनिक समाचार पत्रों में सूचना अधिकारी के माध्यम से छात्रवृत्ति के सम्बन्ध में निःशुल्क विज्ञप्ति भी प्रकाशित करायेंगें ताकि योजना का प्रचार–प्रसार हो सके। इसी प्रकार जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा शिक्षण संस्थाओं की मांग के अनुसार उन्हें छात्रवृत्ति की धनराशि प्रेषित करने अथवा छात्रों के खातों में छात्रवृत्ति की धनराशि स्थानान्तरण करने की सूचना भी दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित करायी जायेगी, ताकि छात्रों एवं उनके अभिभावकों को ससमय जानकारी प्राप्त हो सके।

7- पूर्वदशम एवं दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत छात्रों को छात्रवृत्ति प्रेषण एवं भुगतान निदेशक, समाज कल्याण एवं निदेशक, जनजाति कल्याण द्वारा समय–समय पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

क्रमशः.....4 पर

8- छात्रवृत्ति योजना के सफल एवं पारदर्शी क्रियान्वयन का आकलन करने के लिए छात्रवृत्ति की धनराशि के भुगतान का भौतिक सत्यापन कराया जाना भी आवश्यक है। इसलिए समय सारणी के अनुसार जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा छात्रवृत्ति प्रेषण अथवा खातान्तरण के उपरान्त प्रत्येक जनपद में कम से कम 30% विद्यालयों का भौतिक सत्यापन जिला स्तरीय अधिकारियों की टीम गठित कर किया जायेगा। जनपद में गठित 20 सूत्रीय कार्यक्रम की टास्क फोर्स के अधिकारियों के द्वारा भी अपने क्षेत्र में पड़ने वाले शिक्षण संस्थाओं में आकस्मिक भौतिक सत्यापन करते हुए रिपोर्ट जिलाधिकारी को प्रेषित की जायेगी।

अतः निर्देशित किया जाता है कि जनपद स्तर पर अनुश्रवण एवं समीक्षा समिति का शीघ्र गठन सुनिश्चित करते हुए उल्लिखित दिशा निर्देशों के अनुरूप छात्रवृत्ति योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। यह आदेश वर्तमान में प्रचलित छात्रवृत्ति सम्बन्धी समस्त आदेशों को इसमें निर्दिष्ट व्यवस्थाओं की सीमा तक अतिक्रमित करते हुए तुरन्त प्रभावी माना जायेगा।

भवदीय,

(इन्दु कुमार पाण्डे)
मुख्य सचिव

संख्या :362 (1)/XVII/09–53(प्रकोष्ठ)/2009/तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, शिक्षा (प्राथमिक एवं माध्यमिक)/उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. मण्डलायुक्त, गढ़वाल मण्डल/कुमाऊं मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. समस्त अपर जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3 उत्तराखण्ड शासन।
9. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मनीषा पंवार)
सचिव एवं आयुक्त